भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2223

दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पताल

†2223. सुश्री सयानी घोषः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों की वर्ष-वार और माह-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या में गिरावट आई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कम पैकेज दर और अस्पतालों को विलंबित भुगतान के कारण निजी अस्पताल पैनल में शामिल होने से हतोत्साहित हो रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पीएम-जेएवाई की शुरुआत से अब तक कुल कितने अस्पतालों ने इससे बाहर रहने का विकल्प चुना है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न अस्पतालों ने यह मुद्दा उठाया है कि पैकेज दर आदान लागत से कम है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत पैनलबद्ध अस्पतालों की कुल संख्या का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	पैनल में शामिल अस्पतालों की संख्या
2022-23	3,124
2023-24	4,271
2024-25	2,113

माह-वार और वर्ष-वार एबी-पीएमजेएवाई के तहत पैनलबद्ध अस्पतालों की कुल संख्या का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है ।

(ख): आज की स्थिति के अनुसार, एबी-पीएमजेएवाई के तहत कुल 31,466 अस्पतालों को पैनलबद्ध किया गया है, जिनमें 14,194 निजी अस्पताल शामिल हैं, जबकि 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार 29,220 अस्पताल (जिनमें से 12,355 निजी थे) पैनलबद्ध थे।

(ग) से (ङ): एबी-पीएमजेएवाई के तहत, इस योजना के शुभारंभ के बाद से स्वास्थ्य लाभ पैकेजों को पाँच बार संशोधित और युक्तिसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) 2022 में 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं में 1,961 प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत, दावों का निपटान एक सतत प्रक्रिया है और दावों का निपटान संबंधित राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अतःराज्यीय अस्पतालों (राज्य के भीतर स्थित अस्पतालों) के लिए दावा प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर और पोर्टेबिलिटी वाले दावों (राज्य के बाहर स्थित अस्पतालों) के मामले में 30 दिनों के भीतर अस्पतालों को दावे का भुगतान करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। दावा संबंधी निपटान की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि दावे का निपटान निर्धारित समय- सीमा के भीतर हो जाए।

इस योजना के तहत निजी अस्पतालों का पैनल में शामिल होना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। इस योजना की शुरुआत से लेकर मार्च 2025 तक कुल 609 अस्पतालों ने इस योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुना है।

अनुलग्नक

<u>माह-वार और वर्ष-वार एबी-पीएमजेएवाई के तहत पैनलबद्ध अस्पतालों की कुल संख्या का विवरण</u>

माह	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्त वर्ष 2024-25**
अप्रैल	1037	179	147
मई	169	211	114
जून	217	152	163
जुलाई	176	254	198
अगस्त	162	219	224
सितम्बर	206	163	214
अक्टूबर	131	463	337
नवंबर	197	205	135
दिसंबर	166	455	130
जनवरी	182	891	162
फ़रवरी	213	848	241
मार्च	268	231	48

****